

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या : 497  
गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 (17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों के विकास हेतु एएआई द्वारा पहल

497. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:  
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:  
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:  
श्री प्रदीप कुमार सिंह:  
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:  
श्री तापिर गाव:  
श्री महेश कश्यप:  
श्री बलभद्र माझी:  
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:  
श्री भर्तृहरि महताब:  
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:  
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं या पहलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विमान पत्तनों के सकारात्मक मूल्यांकन और उनके विकास में योगदान दिया है;  
(ख) क्या एएआई का विचार आगामी वर्षों में इस रेटिंग को बनाए रखने या इसे सुधारने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(ग) क्या एएआई महाराष्ट्र के पालघर जिले में नया विमान पत्तन स्थापित करने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव पर काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) : समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सकारात्मक निष्पादन मूल्यांकन का श्रेय न केवल की गई प्रमुख परियोजनाओं को बल्कि प्रमुख वित्तीय, परिचालन और शासन मापदंडों के प्रति इसकी उपलब्धि को भी दिया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 14,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 'परिचालन से राजस्व' के रूप में 14,962.76 करोड़ रुपए अर्जित किए। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाईअड्डा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में 5,335.00 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय दर्ज किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं में चैन्नई, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, अयोध्या, तेजू, पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, राजकोट, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती हवाईअड्डों पर क्रमशः नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन, संबद्ध अवसंरचना का विकास और नए हवाईअड्डे शामिल हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने प्रमुख समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्यों और अधिदेशों को पूरा करने के भी प्रयास करता है, जिसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्रापण, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल शामिल हैं, जिससे इसके सुदृढ़ निष्पादन मूल्यांकन को और मजबूती मिली है।

(ख) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सक्रिय निष्पादन निगरानी और रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से आने वाले वर्षों में अपनी एमओयू रेटिंग को बनाए रखने एवं उसमें और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लक्षित स्तरों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी एमओयू मापदंडों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनिवार्य मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाते हैं, जिससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिचालन उत्कृष्टता और शासन के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

(ग) : देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता किसी हवाईअड्डे का विकास करने के लिए इच्छुक है, तो उन्हें हवाईअड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त साइट चिह्नित करनी होगी और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाना होगा तथा 'साइट क्लियरेंस' के उपरांत 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार को महाराष्ट्र के पालघर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*